



**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर के आयुक्त का कार्यालय**  
**OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX**



**एन-5, टाउन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-431003**

**N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD-431003**

**वेबसाइट/WEBSITE : <http://www.centralexciseaurangabad.gov.in>**

**ई-मेल/E-mail : [cexauran@excise.nic.in](mailto:cexauran@excise.nic.in)**

**फोन/Phone : +91-240-2484975 फैक्स/Fax : +91-240-2483303/2476627**

**कार्यालय आदेश**

सयुक्त निदेशक (एच.आर.एम.), डी.जी.एच.आर.डी., नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र फा.सं. 8/बी/122/एच.आर.डी.(एच.आर.एम.)/2015, दिनांक 02.02.2016 के तहत जारी निर्देशों के अनुसरण में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, औरंगाबाद आयुक्तालय में अनुभव योजना के लिए तत्काल प्रभाव से श्री वी. पी. आराक, मुख्य लेखा अधिकारी को 'नोडल अधिकारी' के रूप में नामित किया जाता है। वे सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए समन्वयक का कार्य करेंगे। वे अधिकारियों से राइटअप्स/ऑडियो क्लिप्स प्राप्त करेंगे तथा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे, जिससे कि उन्हें अनुभव प्लेटफार्म पर अपलोड करने के लिए डी.जी.एच.आर.डी. को अग्रेषित किया जा सके।

2. इसे आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, औरंगाबाद के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ह./-04.04.2016

(डी. पी. पांगरकर)

अपर आयुक्त (का. तथा स.)

फा.सं. II/39-4/स्था./2016

औरंगाबाद, 01 अप्रैल, 2016

प्रति प्रेषित:-

1. सभी सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, मुख्यालय/मण्डल।
2. आयुक्त के व. निजी सचिव/मु.ले.अ./अधीक्षक(सत.)/गोप.।
3. अधीक्षक (संगणक) को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
4. सम्बन्धित अधिकारी।